

FORM No. III

उप खण्ड अधिकारी फर्द अहकाम  
सुजानगढ़ (नियम 26)

अज अदालत नन्द किशोर सिंह मुकाम नम्रायण सिंह

बनाम

किस्म 110 पर आ. क्रि. मुकदमां नं. 284 सन् 2021

G.C.M.S No - 2022/174

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.22	<p>वकील पार्थी द्वारा पार्थना पर अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। सरिस्ता से रिपोर्ट ले चुकी है। प्रारंभ दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे। अपाधीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।</p> <p>वकील पार्थी की एड पेशीय 988 सुनी गई। बाद सुनवाई अपाधीगण को जस्टिस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि खेत खण्ड संख्या 301 ताफदी 10.8747 हेक्टे, ख० सं० 302 ताफदी 8.8262 हेक्टे कुल ताफदी 13.7009 हेक्टे वाले रोटी तेलाप तहसिल सुजानगढ़ जिला बुरु की कृषि भूमि का भागानी आदेश तक मॉडर्न ऐक राजस्व रिजॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आगे इसमें कोई आपादे हो तो फिर्मा 08.12.2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़</p>	
21.11.22	<p>वकील पार्थी उपस्थित। वकील पार्थी ने प्रारंभ प्रिथल पेशी में लॉन का पेश किया जिध पर प्रिथल आज पेशी में ली गई। साथ ही प्रारंभ प्रारंभ 11 विद्वा हेतु पेश किया गया जिध पर पार्थी अधिकता को सुना गया। प्रिथल दस्तावेज को भी विद्वा किया जा चुका है। अतः प्रारंभ प्रिथल प्रिथल पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल प्रिथल दाखिल दफतर हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़</p>	<p>221</p>